में व्यस्त है। पालन हिर्ष मंगाये
पक्ष प्रार्थी विनीत 25/5/18
पेश है।

20/6/18 आप पक्ष प्रार्थी राजस्व लोक अदालत अभियान अन्तर्गत आपके द्वार कैम्प शिलावर में दिनांक 25-5-18 को आज पेश हुआ। पत्रावली अवलोकन से यह बताया गया कि मौके पर सीमा ज्ञात करवाकर, भूमिवादीगण को वादीगण के कब्जे कब्जा में हस्तक्षेप न करने बाबत पाबन्द किया जा चुका है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही लाप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

25/5/18 कैम्प शिलावर

राकेश

यशपाल सिंह

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018